भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2574
दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा राहत हेतु सहायता

2574. श्री अशोक कुमार यादवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आपदाओं के कारण हुई क्षति के लिए मुआवजा प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को पर्याप्त निधि प्रदान करने में विफल रही है;
(ख) वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के लिए आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के माध्यम से सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं; और
(घ) देश में आपदाओं से निपटने की तैयारी के स्तर में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): केंद्र सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत आपदा राहत के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत आवंटन को वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान 33,580 करोड़ रूपये के आबंटन की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान 61,220 करोड़ रूपये कर दिया था। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने वर्ष 2015-20 तक की अवधि के लिए एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत राहत के लिए पात्र विभिन्न मदों के लिए सहायता के मानकों में काफी अधिक वृद्धि की है।

लो.स.अ.प्र.सं. 2574

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान राहत के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत आवंटित एवं जारी राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	**एसडीआरएफ के तहत आवंटन**	**एसडीआरएफ में जारी केन्द्रीय अंश**	**एनडीआरएफ से जारी राशि**
2014-15	7,387.01	5,629.45	3,460.88
2015-16	11,081.00	8,756.00	12,451.96
2016-17	11,635.00	8,374.95	11,441.30
2017-18	12,214.00	9,382.80	4,722.53
2018-19	12,825.00	9,658.13	10,000.00
कुल	**55,142.01**	**41,801.33**	**42,076.67**

(ग): केंद्र सरकार ने खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के दौरान विशिष्ट कारवाई करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) का गठन किया है। एनडीआरएफ निम्नानुसार कदम उठाकर राज्यों को सहायता प्रदान करता है:

(i) राज्यों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों की संवेदनशीलता की स्थिति के आधार पर देश भर में एनडीआरएफ की 12 बटालियनें रणनीतिक रूप से मौजूद हैं।

(ii) मानसून का मौसम शुरू होने से पूर्व, एनडीआरएफ राज्य प्राधिकरणों के साथ परामर्श करके तथा पूर्व चेतावनी एजेंसियों अर्थात भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के पूर्वानुमान के आधार पर

तत्काल कारवाई करने के लिए देश के संवेदनशील स्थानों पर अपने विशिष्ट दलों को पहले से तैनात करके रखता है।

(iii) बाढ़, चक्रवात आदि जैसी खतरनाक आपदा की स्थिति के दौरान, एनडीआरएफ की टीमें तलाशी अभियान चलाने, बचाव करने, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत अभियान चलाने में राज्य प्रशासन को सहायता प्रदान के लिए पहले से तैनात की जाती हैं।

(iv) एनडीआरएफ प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और स्कूल सुरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करके राज्य बलों को क्षमता का निर्माण करने और सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है।

(v) स्थापना के बाद से अब तक, एनडीआरएफ ने 2658 अभियान सफलतापूर्वक चलाए हैं और 1.15 लाख लोगों की जान बचाई है तथा 5.89 लाख व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।

(vi) इसी तरह, स्थापना के बाद से अब तक, एनडीआरएफ ने अब तक 6111 सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, 2107 स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम, 1869 परिचयात्मक कार्यक्रम और 2486 मॉक एक्सरसाइज़ आयोजित किये हैं।

(घ): भारत ने अपने निरंतर प्रयासों से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की अपनी तैयारियों में उल्लेखनीय सुधार किया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को विकास की योजना में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009 में सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करने की अपेक्षा की गई है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वर्ष 2006 में राष्ट्रीय स्तर पर

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। राज्य स्तर पर, सभी राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और 680 से अधिक जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) की स्थापना की गई थी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन निधियों का सृजन करके आपदा संबंधी कारवाई के प्रबंधन के लिए वित्तीय तंत्र की स्थापना की गई है।

आपदा संबंधी तैयारी में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपाय **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 09.07.2019 का लोक सभा अता. प्र. सं. 2574

आपदा संबंधी तैयारी में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपायों को दर्शाने वाला विवरण

- वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी करना।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा भूकंप एवं सुनामी के प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देशों सहित विभिन्न आपदाओं के संबंध में 26 दिशानिर्देशों का प्रकाशन।
- तत्काल कारवाई के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की स्थापना और आपदा की आशंका वाले क्षेत्रों में एनडीआरएफ की पहले से तैनाती और देश के विभिन्न संवेदनशील स्थानों में उनकी पूर्व तैनाती करना।
- राज्यों को अपना स्वयं का राज्य आपदा मोचन बल गठित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- केंद्र सरकार की विभिन्न स्कीमों के जरिये राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करना।
- बहु उद्देशीय चक्रवात आश्रयों का निर्माण और तटीय समुदायों का प्रशिक्षण।
- आपदाओं का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए मॉक ड्रिल, टेबल-टाप एक्सरसाइज, जागरूकता अभियान, ऑडियो विजुअल अभियान और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- एनडीएमए, एनडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा आपदा प्रोफेशनल्स और समुदायों की क्षमता का संवर्धन करना।
- किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने हेतु उनकी तैयारी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के राहत आयुक्तों एवं सचिवों का वार्षिक सम्मलेन आयोजित करना।

******